



meerut
मेरठ

development
विकास

authority
प्राधिकरण

पत्रांक / 35 / एम. डी. ए. / नियोजन / 2007,

दिनांक 20-05-07

सेवा में,


श्रीमान निदेशक
कालका एजुकेशनल सोसायटी
अलकनन्दा कालका जी
नई दिल्ली-110019,

महोदय,

कृपया प्राधिकरण को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 21.5.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरठ महायोजना 2021 के अनुसार ग्राम बराल परतापुर परगना व तहसील व जिला मेरठ स्थित छातरा संख्या 40, 42, 47, 48, 21, 588, 589 सार्वजनिक सुविधाएँ शैक्षिक संस्थाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ मू-उपयोग के अर्न्तगत छातरा संख्या 33, 34 का आंशिक भाग वर्तमान 76 मीटर चौड़े वाईपास मार्ग के समानान्तर 100.00मीटर चौड़ाई तक ग्रीन बर्ज के अर्न्तगत तथा अवशेषा भाग सार्वजनिक सुविधाएँ शैक्षिक संस्थाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ मू-उपयोग के अर्न्तगत आता है । छातरा संख्या 587 का आंशिक भाग 76.00मीटर चौड़े वाईपास मार्ग के मध्य से एक ओर 38.00 मीटर तक सड़क की चौड़ाई के अर्न्तगत, आंशिक भाग वाईपास मार्ग के समानान्तर 100.00मीटर चौड़ाई तक ग्रीन बर्ज मू-उपयोग के अर्न्तगत तथा अवशेषा भाग सार्वजनिक सुविधाएँ शैक्षिक संस्थाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ मू-उपयोग के अर्न्तगत आता है एवं छातरा संख्या 585 का आंशिक भाग 76.00मीटर चौड़े वाईपास मार्ग के अर्न्तगत आंशिक भाग वाईपास मार्ग के पश्चिम की ओर सड़क के समानान्तर 100.00मीटर चौड़ाई तक ग्रीन बर्ज मू-उपयोग के अर्न्तगत आंशिक भाग सार्वजनिक सुविधाएँ शैक्षिक संस्थाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ मू-उपयोग के अर्न्तगत आता है तथा अवशेषा भाग सड़क की पूर्व की ओर के भाग का मू-उपयोग उद्योग मू-उपयोग के अर्न्तगत आता है ।

यह मू-उपयोग प्रमाण-पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भाविष्य में जौनल/ले-आउट प्लान बनाये जाने की दशा में सम्बन्धित स्थल का मू-उपयोग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जौनल/ले-आउट प्लान के अनुसार होगा ।

भावदीय


सहायक नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।